



2026:AHC:43935-DB

सुरक्षित :- 09.02.2026

पारित: - 26.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 351/1988

राम पाल सिंह उर्फ राम बहादुर एवं अन्य

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

राज्य

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : दिलीप कुमार, घन श्याम यादव, राजर्षि गुप्ता

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : डी.जी.ए.

चैम्बर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा पारित)

1. अपीलकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री शाम्भवी शुक्ला की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सना; विचारण न्यायालय के निर्णय और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में बताई गई है कि पक्षों के बीच एक पुरानी दुश्मनी है। पी.डब्ल्यू.-1 के चचेरे भाई श्री बेताल सिंह, अतर सिंह की हत्या सोमराज, अभियुक्त, महावीर और अन्य लोगों द्वारा की गई थी, जिसमें उस प्रकरण की पैरवी पी.डब्ल्यू.-1, अतर सिंह द्वारा की गई थी और उन्हें दोषी ठहराया गया था। पी.डब्ल्यू.-1 के चाचा अतर सिंह को भी उसी अभियुक्त ने घायल कर दिया था और घायलों की पैरवी पी.डब्ल्यू.1, अतर सिंह द्वारा की गई थी। पी.डब्ल्यू.1 के एक अन्य चचेरे भाई, अतर सिंह को सोमराज और अन्य लोगों ने ट्रैक्टर से मार डाला था, जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन यह संदेह था कि सोमराज और



अन्य लोगों द्वारा उसकी हत्या की गई थी, जिसकी गोपनीय जांच मृतक प्रकाश, और उसके एक अन्य बेटे, जय प्रकाश द्वारा की जा रही थी, जिसके बारे में सोमराज और रामपाल ने उन्हें धमकी दिया था।

3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि पी.डब्ल्यू.1, अतर सिंह को बिहार के पास अपने गांव से एक मील की दूरी पर अपना प्लॉट मिला है, जिसमें उसने सब्जियां उगाई थीं, अर्थात् काकड़ी, लौकी, आदि। पी.डब्ल्यू.1, अतर सिंह, अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए रात में सोते थे। यह प्लॉट उत्तर, पूर्व और दक्षिण के तीन ओर से बिहार से घिरा हुआ है और पश्चिम में पी.डब्ल्यू.-1, अतर सिंह का एक खाली प्लॉट है। दक्षिण में, पश्चिम की ओर एक बबूल का पेड़ है और जिस भूखंड पर कथित तौर पर यह घटना हुई है, वहां सब्जी थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके पश्चिम में एक रास्ता था, लेकिन देर रात पैदल चलने वालों और अन्य यात्रियों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। पी.डब्ल्यू.1 अतर सिंह के पांच बेटे थे और मृतक प्रकाश सबसे छोटा था। दिनांक 21.05.1984 को दोपहर लगभग 12 बजे मृतक प्रकाश ने अपना भोजन लिया और अपने पिता, अतर सिंह, पी.डब्ल्यू.1 के साथ प्लॉट पर गए, क्योंकि पिछली रात प्रकाश अपने पिता के साथ खेत में सो रहा था। शाम लगभग 7:00 बजे, अतर सिंह, अपना भोजन लेने और अपने बेटे, प्रकाश के लिए भोजन लाने के लिए अपने घर आए, जो प्लॉट पर रह रहा था। लगभग 9:00 बजे, पी.डब्ल्यू.-1, अतर सिंह, अपने दूसरे बेटे, जय प्रकाश के साथ, जो अपने (प्रदर्श 1) और उनके भतीजे, राम प्रकाश, पी.डब्ल्यू.2 के साथ प्लॉट पर गए क्योंकि पी.डब्ल्यू.2, राम प्रकाश को प्लॉट से सब्जियां इकट्ठा करनी थीं। जब वे घटना स्थल से 10 या 15 कदम की दूरी पर थे, तो उन्होंने जय प्रकाश द्वारा फ्लैश की गई टॉर्च की रोशनी से देखा कि अभियुक्त सोमराज, राम पाल दो अन्य व्यक्तियों के साथ, जिन्हें वे पहचान नहीं सकते थे, ने मृतक प्रकाश की खाट को घेर लिया था। टॉर्च की रोशनी देखकर आरोपियों पर से रामपाल ने देशी मैट पिस्टल मृतक प्रकाश के गले में रखकर फायरिंग कर दी। वे मौके पर पहुंचे, लेकिन अभियुक्त गायब हो गए। इसके तुरंत बाद प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। पी.डब्ल्यू.1, अतर सिंह, पुलिस स्टेशन गए, जो घटना स्थल से दक्षिण पश्चिम में 8 किमी की दूरी पर था और उनके खिलाफ रात 10:15 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क 1) दर्ज कराया। इसकी प्रविष्टि पी.डब्ल्यू.5, कश्मीर सिंह, हेड कांस्टेबल द्वारा जी.डी. में की गई थी और अभियुक्त के खिलाफ धारा 302 भा0द0सं0 (प्रदर्श क 8) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। उन्होंने प्रदर्श क-1 चेक रिपोर्ट भी तैयार की थी।



4. पी.डब्ल्यू.-4, ओम प्रकाश उपाध्याय, वरिष्ठ पुलिस उप-निरीक्षक और श्री हकीम राय, एस.एच.ओ., पी.डब्ल्यू.7 और अन्य पुलिस कर्मी पुलिस बल के नियंत्रण कक्ष से एक जीप और एक अन्य वाहन के साथ घटना स्थल के लिए पुलिस स्टेशन से रवाना हुए। पी.डब्ल्यू.4, ओम प्रकाश उपाध्याय, पुलिस उप-निरीक्षक ने रात 11:45 बजे पंचायतनामा (प्रदर्श क 3) तैयार करना शुरू किया और यह 22.05.1984 को रात 01:30 बजे समाप्त हुआ। पंचों की राय में मृतक प्रकाश की मौत गोली लगने से हुई थी। उसने शव चालान (प्रदर्श क-4) भी भरा और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कांस्टेबल, हरबिलास और महेंद्र सिंह को सौंप दिया गया। उसने (प्रदर्श क 8) शव योजना भी तैयार की थी जिसमें मृतक के व्यक्ति पर चोटों को दिखाया गया था। उन्होंने पोस्टमॉर्टम जांच के लिए सीएमओ (प्रदर्श क 6) को एक पत्र भी लिखा था। मौके पर ही उसने खून से सना रजाई, खून से सना खाट, खून से सना हुआ और घटना स्थल से साधारण मिट्टी को हिरासत में लिया था और फर्द बरामदगी (प्रदर्श क 7) तैयार किया था।

5. पी.डब्ल्यू.-6, डॉ. वी.के. पुरंग ने 22.05.1984 को सुबह 10:30 बजे मृतक प्रकाश का पोस्टमॉर्टम किया। उसने अपने व्यक्ति पर पोस्टमॉर्टम से पहले के निशान पाए जो इस प्रकार हैं: -

"(i) प्रवेश 2 सेमी x 1 सेमी की बंदूक की गोली का घाव, दाहिनी हड्डी से लगभग 2 सेमी ऊपर गर्दन के सामने और मध्य में गहरी गुहा। घाव के चारों ओर एक काला रंग था।

(ii) खोपड़ी के शीर्ष पर 4 सेमी x 2 सेमी का बंदूक की गोली का घाव जो मस्तिष्क से बाहर आ रहा है। पार्श्विका की हड्डी और ललाट की हड्डी टूट गई थी।

पोस्टमॉर्टम में पाया गया कि पेट खाली था, छोटी आंत को आधा पचा हुआ भोजन मिला था जबकि बड़ी आंत में मल मिला था। मृत्यु का कारण उपरोक्त चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के रूप में दिखाया गया था (प्रदर्श क 9)।

6. पी.डब्ल्यू.-7, श्री हकीम राय, एस.एच.ओ ने उस रात जय प्रकाश द्वारा इस्तेमाल की गई टॉर्च को अपनी हिरासत में ले लिया और 22.05.1984 को इसका फर्द बरामदगी (प्रदर्श क 2) तैयार किया और उसके बाद इसे पी.डब्ल्यू.3, चंद्र प्रकाश की हिरासत में दे दिया गया। उन्होंने 22.05.1984 (प्रदर्श क-10) को घटना स्थल की नक्शा नजरी भी तैयार किया। उन्होंने उसी रात मौके पर गवाहों, उप निरीक्षक पुलिस, ओपी उपाध्याय और चंद्र प्रकाश के बयान दर्ज किए। उन्होंने 23.05.1984 को गवाह रामजी लाल का बयान दर्ज किया। चूंकि दोनों आरोपियों का पता



नहीं चल पाया था, इसलिए उनके खिलाफ 28.05.1984 को द0प्र0सं0 की धारा 82/83 के तहत आदेश प्राप्त किए गए और इसे प्रभावी किया गया लेकिन दोनों अभियुक्त फरार हो गए थे और उनकी अनुपस्थिति में, जांच पूरी हो गई और 04.08.1984 को भा0द0सं0 की धारा 302 के तहत उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया (प्रदर्श क 11)। अभियुक्त सोमराज को 06.08.1984 को गिरफ्तार किया गया था।

7. अभियुक्त, सोमराज को श्री योगेंद्र सिंह, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के समक्ष पेश किया गया और केस संख्या 596/1984 के रूप में प्रकरण दर्ज किया गया। वह 19.12.1984 को एस.टी. संख्या 20/1986 में सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। एस.टी. संख्या 265/1986 में अभियुक्त रामपाल सिंह को दिनांक 26.06.1986 को सुपुर्द किया गया था।

8. अभियुक्त, सोमराज पर 07.08.1986 को भा0द0सं0 की धारा 302/34 के तहत आरोप लगाया गया था कि उसने 21.05.1984 को रात लगभग 09:00 बजे पुलिस स्टेशन-फिरोजाबाद (दक्षिण), जिला- आगरा के सर्कल के भीतर गांव गुडायू में मृतक प्रकाश के खेत में प्रकाश की मौत का कारण बनने का सामान्य इरादा किया था और सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए उसके सहयोगी रामपाल सिंह ने प्रकाश पर गोली चला दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई, इस तरह उसने जानबूझकर या जानकारी में प्रकाश की हत्या कर दी।

9. दिनांक 31.10.1986 को अभियुक्त, राम पाल सिंह पर भा0द0सं0 की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था कि उसने 21.05.1984 को रात लगभग 09:00 बजे पुलिस स्टेशन-फिरोजाबाद (दक्षिण) जिला-आगरा के सर्कल के भीतर गांव- गुडाऊ में मृतक प्रकाश के खेत में जानबूझकर या जानबूझकर प्रकाश की हत्या कर दी। दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। दोनों प्रकरण को समेकित किया गया और साक्ष्य एस.टी. संख्या 20/1986 में दर्ज किए गए।

10. अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में पी.डब्ल्यू.-1, अतर सिंह, एक नेत्र गवाह, मृतक प्रकाश के पिता से पूछताछ की। उन्होंने पूर्व केए-1, एफआईआर पीडब्ल्यू-2, राम प्रकाश, पीडब्ल्यू-1 के भतीजे, अतर सिंह, एक नेत्र गवाह को भी साबित किया। पी.डब्ल्यू.-3, चंद्र प्रकाश ने इस तथ्य को देखा कि घटना से एक दिन पहले, मृतक, प्रकाश पिता के साथ सोया था और जिस दिन या घटना हुई थी, उस दिन उसके पिता, अतर सिंह, प्रकाश के लिए भोजन लेने के लिए घर आए थे। उन्होंने टॉर्च (प्रदर्श क-2) प्रदर्श 1, टॉर्च, प्रदर्श 2, खून से सना रजाई, प्रदर्श 3 खाट पर प्रतिबंध के लिए फर्द बरामदगी भी साबित किया। पी.डब्ल्यू.-4, श्री ओम प्रकाश



उपाध्याय, वरिष्ठ पुलिस उप-निरीक्षक जिन्होंने पंचायतनामा (प्रदर्श क-3), चालान लाश (प्रदर्श क-4), लाश योजना (प्रदर्श क-5), पोस्टमॉर्टम परीक्षा के लिए सी.एम.ओ. को पत्र (प्रदर्श क-6), खून से सना रजाई आदि का फर्द बरामदगी, (प्रदर्श क-7) और (प्रदर्श क-1) प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिस पर उन्होंने अपने आद्याक्षर डाले थे। पी.डब्ल्यू.-5, हेड कांस्टेबल, कश्मीर सिंह, जिन्होंने जी.डी.पी.डब्ल्यू.-6 की (प्रदर्श क-1) प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-8) प्रति साबित की, डॉ. वी.के. पुरांग, चिकित्सा अधिकारी, जिन्होंने 22.05.1984 को मृतक की पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया और (प्रदर्श क-9) पोस्टमॉर्टम परीक्षण रिपोर्ट साबित की थी। पीडब्ल्यू-7, श्री हकीम राय, तत्कालीन एस.एच.ओ.। उन्होंने प्रकरण की विवेचना की और (प्रदर्श क-2) टॉर्च का फर्द बरामदगी, (प्रदर्श क-10) नक्शा नजरी और (प्रदर्श क-11) आरोप पत्र साबित किया।

11. अभियोजन पक्ष ने (प्रदर्श क-1) प्रथम सूचना रिपोर्ट., (प्रदर्श क-2) मशाल की वसूली फर्द, (प्रदर्श क-3) पंचायतनामा, (प्रदर्श क-4) लाश का चालान, (प्रदर्श क-5) लाश योजना, (प्रदर्श क-6) पोस्टमॉर्टम परीक्षा के लिए सीएमओ को पत्र, (प्रदर्श क-7) खून से सना रजाई आदि का फर्द बरामदगी, (प्रदर्श क-8) जी.डी (प्रदर्श क-9) पोस्टमॉर्टम परीक्षण रिपोर्ट की प्रति। (प्रदर्श क-10) नक्शा-नजरी और (प्रदर्श क-11) आरोप पत्र।

12. अभियुक्तों को द0प्र0सं0 की धारा 313 के तहत उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में परिस्थितियों और सबूतों की व्याख्या करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने पुरानी दुश्मनी के कारण झूठे फंसाने का दावा किया और एक दलील दी कि मृतक प्रकाश ने खुद आत्महत्या कर ली थी।

13. प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने और विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड और विचारण न्यायालय के फैसले को देखने के बाद, हम पाते हैं कि नक्शा नजरी, प्रदर्श क 10 और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के अनुसार, घटना का स्थान 3 बीघा का एक भूखंड है जिसमें पी.डब्ल्यू.1, अतर सिंह द्वारा सब्जियां उगाई गई थीं। यह पी.डब्ल्यू.1, अतर सिंह गांव से एक मील की दूरी पर स्थित था। पी.डब्ल्यू.1, अतर सिंह के बयान के अनुसार, एक सड़क उनके प्लॉट के पश्चिम की ओर जाती है, लेकिन रात के समय यात्री उस पर नहीं जाते हैं, और घटना के दिन कोई यात्री नहीं था। यह तीन तरफ से बिहार से घिरा हुआ है। नक्शा नजरी प्रदर्श क 10 में दर्शाए गए स्थान '1' पर खाट दिखाई गई है जहां कथित तौर पर अभियुक्त द्वारा प्रकाश की हत्या की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नक्शा नजरी में विवेचना अधिकारी ने यह नहीं दिखाया है कि अभियुक्त



कहां से आए थे या वे कहां गायब हुए थे। उन्होंने वह जगह भी नहीं बताई है जहां से गवाह आए थे। ये घटना को देखने वाली जांच एजेंसी की ओर से चूक है।

14. हम आगे पाते हैं कि तथ्यों के तीन गवाह पी.डब्ल्यू.-1, अतर सिंह (प्रथम सूचनाकर्ता- पीड़ित मृतक के पिता, प्रकाश); पी.डब्ल्यू.-2, राम प्रकाश (प्रथम सूचनाकर्ता अतर सिंह के भतीजे) और पी.डब्ल्यू.-3, चंद्र प्रकाश (प्रथम सूचनाकर्ता का पुत्र, अतर सिंह और मृतक प्रकाश का सगे भाई)। उपरोक्त सभी गवाह मृतक से निकटता से संबंधित हैं। एक अन्य गवाह, अर्थात् जय प्रकाश, जिसका नाम एफआईआर में है और जिसे मृतक पर एक ही गोली चलाने के समय अभियुक्त पर मशाल चमकाने की भूमिका सौंपी गई थी, से पूछताछ नहीं की गई। जय प्रकाश सूचनाकर्ता अतर सिंह का बेटा है, मृतक प्रकाश का भाई है। जय प्रकाश द्वारा ले जाई गई मशाल को भी अवर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया और अभियोजन पक्ष इस संबंध में चुप है। पी.डब्ल्यू.1, अतर सिंह ने पुलिस स्टेशन में दी गई मौखिक सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने थाने में तैयार की गई चिक एफआईआर पर अपने हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की थी। न्यायालय के समक्ष अपने बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने निरीक्षक को बताया कि वह अक्सर अपने कृषि क्षेत्र में रात में रुकते थे, लेकिन कल उनका बेटा प्रकाश वहीं रुका था। उन्होंने रिपोर्ट में भी इस तथ्य का उल्लेख किया है। उन्होंने एफआईआर और द0प्र0सं0 की धारा 161 के तहत अपने बयान में यह उल्लेख नहीं किया कि उनके बेटे प्रकाश और पी.डब्ल्यू.1, दोनों अपने कृषि क्षेत्र में रात में रुकते थे। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि पी.डब्ल्यू.1, घटना स्थल पर मौजूद नहीं था जब यह हुआ था।

15. पी.डब्ल्यू.1 की गवाही से हमें आगे पता चलता है कि पी.डब्ल्यू.2, राम प्रकाश और उनके बेटे, जय प्रकाश, जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण रात में उनके साथ खेत में जाने के लिए परीक्षित नहीं की गई थी, के लिए सौंपा गया कारण यह था कि सब्जियां खेत में एकत्र की गई थीं, जिन्हें वहां से लाया जाना आवश्यक था। हमें एफआईआर में और पुलिस स्टेशन में दर्ज पीडब्ल्यू 1 के पिछले बयान में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। पीडब्ल्यू 7, विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार की गई नक्शा-नजरी इस तथ्य की पुष्टि नहीं करती है। अपनी परीक्षण के दौरान, पी.डब्ल्यू.1 ने कहा कि उन्होंने घटना स्थल के पास सब्जियों का कोई संग्रह नहीं देखा और इसलिए, अभियोजन पक्ष का प्रकरण इस कारण से भी स्पष्ट है।

16. पी.डब्ल्यू.1, अतर सिंह द्वारा यह दावा किया गया था कि मृतक, प्रकाश ने घर से अपना दोपहर का भोजन लिया और दोपहर 12 बजे खेत में वापस चला गया। पी.डब्ल्यू.1 लगभग



7:00 बजे अपने घर गया, रात का खाना खाने के लिए और अपने बेटे, प्रकाश के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए, जिसे रात को खेत में रुकना था, लेकिन अभियोजन पक्ष के प्रकरण से यह स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू.1, पी.डब्ल्यू.3 और जय प्रकाश के प्रकाश तक पहुंचने से पहले, उनकी मृत्यु हो गई थी। पी.डब्ल्यू.6, डॉ. वी.के.पुरंग ने कहा कि मृतक की मृत्यु भोजन खाने के दो घंटे बाद पेट में अर्ध-पचा हुआ भोजन पाया गया। पी.डब्ल्यू.6 में भी प्रकरण में आत्महत्या का प्रकरण होने की संभावना है। पी.डब्ल्यू.1 ने इस न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में अपने परिवार के सदस्यों की आत्महत्या की मौत का पारिवारिक इतिहास दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह आरोप लगाना गलत है कि उनके पिता ने आत्महत्या कर ली, उनके तीसरे भाई रणवीर सिंह ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली या सत्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश की दो पत्नियों की आग से खाना पकाने के समय मृत्यु हो गई। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि नरोत्तम सिंह ने अपनी लाइसेंस बंदूक से आत्महत्या की थी और इसी वजह से उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था।

17. हम यह भी पाते हैं कि पीडब्ल्यू 1 ने स्वीकार किया है कि दोनों परिवारों के बीच विवाद है और अभियुक्त सोमराज, महावीर और जिमी पाल को उच्च न्यायालय ने अपील में बरी कर दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि अभियुक्त अपीलकर्ता पक्ष और उसके पक्ष के बीच समझौता हुआ है और इसलिए, अपीलकर्ता के लिए मृतक की हत्या करने का कोई कारण नहीं दिखता है। पी.डब्ल्यू.-1 ने स्वीकार किया था कि लगभग 20-21 साल पहले, उसके चचेरे भाई, बेताल सिंह की हत्या कर दी गई थी, और उस प्रकरण में अपीलकर्ता, सोमराज सिंह, महावीर, महेश्वर और जिमी पाल को अभियुक्त बनाया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रकरण की पैरवी के कारण उन्हें अवर न्यायालय में दोषी ठहराया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था। उनके बेटों और आरोपियों के बीच एक-दो बार विवाद हुआ और उसके बाद उनके बीच समझौता हो गया। अभियुक्त-अपीलकर्ता पक्ष के सदस्यों के साथ उनके, उनके भाई, गुलाब और उनके बेटे के बीच कोई विवाद नहीं हुआ।

18. जहां, गवाह मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं, शीर्ष न्यायालय ने **शरद बिरिधिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1984 सर्वोच्च न्यायालय 1622** के प्रकरण में प्रस्तर 28 में न्यायालयों को चेतावनी दी है, जो इस प्रकार है: -

‘गवाहों के साक्ष्य पर चर्चा करने से पहले हम कुछ प्रारंभिक टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में मौखिक बयानों पर विचार किया जाना है। कहा जाता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं कि मंजू ने आखिरी बार बीड का दौरा करने के दौरान जिन लोगों से मौखिक बयान दिए थे, वे मृतक के करीबी रिश्तेदार और दोस्त हैं। घनिष्ठ संबंध और स्नेह को देखते हुए, गवाह की स्थिति में किसी भी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से उन तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने या जोड़ने की प्रवृत्ति होगी जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताए गए होंगे। ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन अनजाने में भी मृतक के लिए प्यार और स्नेह कथित हत्यारे के खिलाफ मनोवैज्ञानिक घृणा पैदा करेगा और इसलिए, न्यायालय को ऐसे सबूतों की बहुत सावधानी और सावधानी के साथ जांच करनी होगी। यहां तक कि अगर गवाह सच्चाई का एक हिस्सा या शायद पूरी बात बोल रहे थे, तो उन्हें अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ प्रतिशोध या दासता की भावना से निर्देशित किया जाएगा और इस प्रक्रिया में कुछ तथ्य जो नहीं बताए जा सकते हैं या नहीं बताए जा सकते हैं, कल्पना की जा सकती है कि वे गवाहों द्वारा अनजाने में कहे गए हैं ताकि यह देखा जा सके कि अपराधी को दंडित किया जाता है। यह मानव मनोविज्ञान है और कोई भी इसकी मदद नहीं कर सकता है।'

19. इसलिए, हम पाते हैं कि प्रकाश को मारने के लिए अपीलकर्तागण की ओर से उद्देश्य की अनुपस्थिति के बारे में अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क विश्वसनीय लगता है। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्तागण को इस प्रकरण में केवल पी.डब्ल्यू.1 द्वारा संदेह के कारण फंसाया गया था। पी.डब्ल्यू.5, हेड क्लर्क, कश्मीर सिंह ने स्वीकार किया है कि 21.05.1984 और 25.05.1984 को घटना के चार दिन बाद मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसलिए, इस प्रकरण में द0प्र0सं0 की धारा 157 की विफलता प्रतीत होती है।

20. पी.डब्ल्यू.-4, उप-निरीक्षक, ओम प्रकाश उपाध्याय ने स्वीकार किया कि चालान लैश (प्रदर्श 4-ए) में मुकदमा अपराध संख्या आदि का कोई विवरण नहीं है और पंचायतनामा में उल्लिखित किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची है। इसलिए, एफआईआर के समयपूर्व होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

21. इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता के तहत, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्तागण को पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी से उत्पन्न संदेह के आधार पर इस प्रकरण में फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने प्रकरण को साबित करने में विफल रहा है। अपीलकर्ता संदेह के विस्तारित लाभ के पात्र हैं।

22. विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाता है।



23. वे जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र रद्द कर दिए जाते हैं और जमानतदार उन्मोचित किये जाते हैं।

24. आपराधिक अपील **स्वीकृत।**

25. आदेश को विचारण न्यायालय को सूचित किया जाए और विचारण न्यायालय का अभिलेख दो सप्ताह के भीतर वापस किया जाए।

26 फ़रवरी, 2026

रोहित

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)